न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष :मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3544–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–09–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बरेली जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 98/अपील/2012–13

.....

1–अशोक कुमार आत्मज श्री मिश्रीलाल लोधी

2–बल्देव आत्मज हल्कू लोधी

3–ओमप्रकाश आत्मज श्री फूलचन्द

निवासीगण ग्राम विजनहाई तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र.

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–हरिराम आत्मज श्री मुलिया

2–जगदीश आत्मज स्व.श्री कन्छेदी

निवासीगण ग्राम पुरेना तहसील उदयपुरा जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

– – –

श्री बी.एन.मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री संदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ५/५/१६ को पारित)

आवेदकगण ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार उदयपुरा द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–6/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 30–6–1990, नामान्तरण पंजी कमांक 6 दिनांक 30–6–1990 एवं उसके बाद नामान्तरण पंजी कमांक 4 पर पारित आदेश दिनांक 15–6–1996 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 19–03–2013 को लगभग 20 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत गई, चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–9–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत उभयपक्ष की उपस्थिति में साक्ष्य आदि लेकर आदेश पारित किया गया जो कि विधिसंगत आदेश है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तीनों आदेशों के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अनियमित एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ही आदेश पारित हुआ है, इसलिये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने के कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–